

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

112/2025

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा अंकित किराणा स्टोर के पास देवली  
तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001

--अपीलार्थी--

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी  
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 08.01.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1971-72 बांग्लादेश शरणार्थी पुनर्वास योजना के तहत (महादेव बैरागी /mahadev bairagi) को देवली टाउन (टोंक जिला, राजस्थान) में आवंटित घर /का रिकॉर्ड प्रदान करें। कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएँ:

1. आवंटन पत्र (Allotment Letter) या जमाबंदी/ खाता विवरण।
2. संपत्ति का पत्ता, खसरा नंबर (यदि लागू), और वर्तमान कब्जा स्थिति।
3. यदि संपत्ति पर अतिक्रमण है, तो उसका विवरण और कार्रवाई का रिकॉर्ड। संलग्न दस्तावेज: -1980 का DM सिटिजनशिप सर्टिफिकेट (नंबर: (यदि हो))। - 1970 का बॉर्डर स्लिप। सूचना की समय सीमा: 1971 से 1980 तक।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2370 दिनांक 04.12.2025, 2459 दिनांक 18.12.2025 व 2498 दिनांक 30.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1227 दिनांक 18.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली से होने से उनके पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 04.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने पत्र क्रमांक 5675 दिनांक 4.12.2025 से जवाब प्रेषित किया। प्रेषित जवाब को पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 18.12.2025 से अपीलार्थी को भिजवाया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(कल्पना अग्रवाल)  
जिला कलेक्टर  
प्रथम अपील अधिकारी  
एवं जिला कलेक्टर टोंक